कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

गुरुवार, 30 माघ, शक संवत् 1947

(19 फरवरी, 2026 ई0)

खण्ड-531

अंक-09

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न सं0-06 के अनुपूरक उत्तर से असन्तुष्ट नेता विरोधी दल ने अपने सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया।

तारांकित प्रश्न सं0-15 के अनुपूरक के मध्य नेता विरोधी दल द्वारा पूर्व के प्रश्नों को निलम्बित किये जाने की बात कहे जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी प्रश्न निलम्बित नहीं किया गया है। बहिर्गमन के कारण प्रश्नकर्ता को बुलाए जाने के बावजूद सम्बन्धित सदस्यों द्वारा अनुपूरक नहीं पूछे गये। इस पर समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्यों द्वारा पीठ से इस पर व्यवस्था दिये जाने की मांग करने पर नेता विरोधी दल की सहमति से श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल का समय अवशेष रहने की दशा में छूटे हुए प्रश्नों को आगे क्रम से लिया जाएगा।

आज दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 104 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	श्री संजीव अग्रवाल	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट में गंगा नगर कॉलोनी के मुख्य मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
2	श्री राम मूर्ति वर्मा	जनपद अम्बेडकरनगर में धान खरीद लक्ष्य को लगभग 1.5 लाख क्विंटल बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री रामखिलाड़ी सिंह	जनपद सम्भल के कतिपय विकास खण्डों में सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
4	डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति	जनपद हमीरपुर के ग्राम पंचायत इन्गोहटा में नेशनल हाई-वे से रेलवे स्टेशन तक सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
5	श्री कविन्द्र चौधरी	जनपद हमीरपुर के श्री भुवनेश्वरी महेश्वरानन्द गुरूकुल संस्कृत महाविद्यालय में एरियर तथा डी0 ए0 के भुगतान के सम्बन्ध में।
6	श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य	जनपद प्रतापगढ़ में नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/उप जिलाधिकारी की तरफ से धारा-7ए के अन्तर्गत नोटिस वापस लिए जाने के सम्बन्ध में।
7	श्रीमती सरोज कुरील	जनपद कानपुर शहर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रार में पंचायत भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में।
8	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद के कतिपय चौराहों के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में।
9	श्रीमती सलोना कुशवाहा	जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में।
10	श्री विनय प्रकाश गोंड	भारत सरकार के गजट के अनुरूप गोंड, धुरिया जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के अनुपालन के सम्बन्ध में।
11	श्री स्वामी ओउ्मवेश	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में चाँदपुर ईस्माइलपुर से पीपलसाना मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
12	श्रीमती विजमा यादव	जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।
13	डॉ0 रागिनी	जनपद जौनपुर के मछलीशहर में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
14	श्री हरिओम	जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर में ग्राम पटना से मीरपुर तक मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में।
15	श्री सुशील कुमार शाक्य	जनपद फर्रुखाबाद में अमृतपुर में गंगा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
16	इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई	प्रदेश में किसानों द्वारा गौ-वंश आधारित खेती फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने विषयक।
17	डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा	जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहबाद में जहाँगीरपुर गेलरई मुख्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
18	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
19	श्रीमती मनीषा अनुरागी	जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्रीमती ओममणी वर्मा	जनपद बांदा के ग्राम महुटा स्थित गाटा सं0-275 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में।
21	श्री राजकुमार सहयोगी	जनपद मैनपुरी के मौजा ज्योति खुडीया में अवैध कब्जे के सम्बन्ध में।
22	श्री मूल चन्द्र सिंह	जनपद जालौन के अन्तर्गत रेंढर में नावली माता मन्दिर मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
23	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ में ब्लॉक सैथा से राजस्थान बार्डर तक पक्की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
24	श्री सुरेन्द्र मैथानी	जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर में रफाका नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री जगदीश नारायण	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में ग्राम विधार से लगे हुए तालाब को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में।
27	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झाँसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में कतिपय ग्रामों में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
28	डॉ0 अमित सिंह चौहान	जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में कतिपय मार्गों के नव निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
29	श्री प्रेम नारायण पाण्डेय	जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में कतिपय स्थानों पर 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में।
30	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सी0 एच0 सी0 अस्पताल में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में।
31	श्री अतुल प्रधान	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में लावड महलका मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
32	डॉ0 सुरभी	प्रदेश में रात्रि में पोस्टमार्टम की जटिल समस्या के सरलीकरण के सम्बन्ध में।
33	श्रीमती मीनाक्षी सिंह	जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा विधान सभा क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में सुविधा के विस्तार के सम्बन्ध में।
34	श्री लक्ष्मी राज सिंह	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के गुलावठी में नयी तहसील सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।
35	श्री रामकृष्ण भार्गव	जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में।
36	श्री मोहन वर्मा	जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मौन नाले पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
37	श्री राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी	जनपद मथुरा के माँट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पानी गाँव को यमुना एक्सप्रेस-वे के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री कैलाश राजपूत	जनपद आजमगढ़ के तहसील बुढ़नपुर में भू-माफियाओं के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में।
39	श्री योगेश शुक्ला	जनपद लखनऊ के बक्शी का तालाब विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अयोध्या से तकरोही रोड़ तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
40	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चकिया रूढान से मुकुन्दपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
41	श्री राजेन्द्र कुमार	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत सन्त शिरोमणि मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
42	श्री श्याम सुन्दर	जनपद रायबरेली के हसवा ताल ड्रेन को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में।
43	श्री समरपाल सिंह	जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात के अन्तर्गत ग्राम सबदलपुर से त्रिलोकपुर तक सड़क पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्रीमती इन्द्राणी देवी	जनपद श्रावस्ती के ब्लाक जुमनहा में मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
45	श्री मो0 ताहिर खान	जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुखबड़ेरी सम्पर्क से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
46	हाजी नासिर कुरैशी	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद ग्रामीण के अन्तर्गत सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
47	श्री नफीस अहमद	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
48	श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू	जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत खरीद-दरौली घाट पर पुल निर्माण हेतु लम्बित धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्रीमती सैय्यदा खातून	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत ककरापोखर से कुर्थीडीहा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
51	श्री जाहीद	जनपद भदोही के ब्लाक सुरियावां में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
52	श्री रविदास मेहरोत्रा	प्रदेश के पत्रकारों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में।
53	श्री अखिलेश	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में बसौंध सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
54	श्री प्रदीप शुक्ला	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां अन्तर्गत स्व0 रवीन्द्र सिंह मार्ग से जरलही उनवल पुल तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
55	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के बैरिया में कतिपय स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा डॉक्टर की उपलब्धता के सम्बन्ध में।
56	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में कतिपय मार्गों के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
57	डॉ0 पल्लवी पटेल	जनपद कौशाम्बी के बौद्ध स्थली को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
58	श्री महेन्द्र नाथ यादव	जनपद बस्ती के ब्लाक बनकटी में कतिपय सड़क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।
59	श्री हाकिम लाल बिन्द	जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया में बन्दी पट्टी से भूषलपुर हिम्मत बहार तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
60	श्री अमरेश कुमार	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में।
61	श्री ऋषि त्रिपाठी	जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में महिला चिकित्सालय में महिला गायनोलॉजिस्ट की तैनाती के सम्बन्ध में।
62	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में सिरसी-बिलारी मार्ग पर रेलवे ब्रिज की मरम्मत के सम्बन्ध में।
63	श्री अरविन्द कुमार सिंह	जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र ददरौल में गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
64	श्री वीर विक्रम सिंह	जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र खुदागंज में देवहा नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
65	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
66	श्री रत्नाकर मिश्रा	जनपद मिर्जापुर के नटवा तिराहे पर जल निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
67	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में मण्डी परिषद् द्वारा सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में।
68	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट के देवांगना घाटी में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
69	श्री वीरेन्द्र चौधरी	जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के अन्तर्गत चकबंदी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में।
70	श्री मनीष कुमार उर्फ मंटू	जनपद कुशीनगर के मेडिकल कालेज में प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में।
71	श्री रमेश जायसवाल	जनपद चन्दौली के बबुरी में खेत को सिंचित किये जाने के सम्बन्ध में।
72	श्री चन्द्रपाल सिंह	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में राजकीय कन्या डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
73	श्री आशु मलिक	जनपद सहारनपुर के मेडिकल कालेज में उच्च्व स्तरीय जाँच व अन्य चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने जाने के सम्बन्ध में।
74	डॉ0 नीरज बोरा	जनपद लखनऊ की प्रियदर्शिनी कॉलोनी में सीवर समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
75	श्री राम फेरन पाण्डेय	जनपद श्रावस्ती में पर्यटन विभाग द्वारा सीताद्वार को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
76	श्री बेदी	जनपद गाजीपुर के जखनियां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत सादात में नन्दन योजनान्तर्गत हो रहे निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
77	श्री अनिल सिंह	जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भल्ला फार्म से असरेन्दा-निगोहा मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
78	श्री शाहिद मंजूर	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मेरठ गढ़मुक्तेश्वर मार्ग का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने तथा जमीन का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
79	श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी	जनपद लखनऊ में राज्य सम्पति विभाग के एम0 आई0 जी0 कालोनी में पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइन बदले जाने के सम्बन्ध में।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष की अनुमति से जनपद-मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर मार्ग निर्माण शीघ्र पूर्ण कराए जाने तथा जमीन का मुआवजा दिलाए जाने विषयक अपनी नियम-301 की सूचना श्री शाहिद मंजूर द्वारा सदन में पढ़ी गयी। साथ ही इसके निराकरण के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रश्न किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा इसका जवाब आपको सरकार द्वारा दिया जाएगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का आयुष पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-10 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन के पटल पर रखा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के कार्य-कलापों पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-14 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन के पटल पर रखा।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया कि-

(1) निम्नलिखित विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को पारित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 18 फरवरी, 2026 को वापस प्राप्त हो गये :-

(i) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026

(2) निम्नलिखित विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को पारित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 18 फरवरी, 2026 को वापस प्राप्त हो गये :-

(i) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

(ii) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड सण्डवा चन्द्रिका के अन्तर्गत खजूरी से डड़वा (कल्यानपुर) पैगा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बद्री प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के विकास खण्ड किशनी में मनिगांव मार्ग से बल्लमपुर तक व मनिगांव मार्ग से डेराडूंगर होकर जगतपुर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्याराम मुनीम व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा विसलपुर तराई से सम्पर्क मार्ग से महमदपुर तराई सम्पर्क मार्ग में पुलिया व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लडैते बाथम व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोरखपुर के गोला बाजार नगर पंचायत में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सच्चिदानन्द शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के फतेहपुर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत गोपालनगर उत्तर से जी0टी0 रोड तक के मार्ग को सी0सी0 रोड व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां के अन्तर्गत वार्ड संख्या-42 मड़ौली नाथूपुर में अशोक यादव के घर से सुरेंद्र यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 नरेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आगरा के भाग्य नगर वार्ड-38 में जल निकासी की समस्या के समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के ग्राम पंचायत जूही में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज की तहसील सहावर के ग्राम पंचायत जटाऊ अशोकपुर के अन्तर्गत ग्राम मुनीर में नाला का निर्मण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौतम राज व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री दिनेश रावत, सदस्य, विधान सभा की श्री के0पी0 मिश्रा, पूर्व डिपो मैनेजर, यू0पी0 हैण्डलूम रायबरेली के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर दिए गए प्रत्यावेदन पर सवेतन बहाली कराये जाने के सम्बन्ध में के0 पी0 मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड पूरनपुर के अन्तर्गत रेलवे लाइन कुरैया कला के पश्चिम डगरे से पूरब डगरे तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हलिया के ग्राम सभा गलरिया में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपुल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा अन्तर्गत नगर पंचायत मौरावाँ से कानपुर तक परिवहन सेवा की बसें संचालित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री जाहीद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र व ब्लॉक भदोही में 100 शैय्या का निर्मित महिला अस्पताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हसीब खां व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत विक्रमादित्य वार्ड के 1090 के बगल में जियामऊ मुख्य मार्ग वर्मा कोचिंग तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 जावेद खान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में ग्राम अमवामुर्तजापुर के झंझटी का पुरवा से बरगदिहा बाबामेला होते हुये ग्राम असलम नगर नहर पुल तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीजक प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के विकास खण्ड मवई के अन्तर्गत दुल्लापुर नेवरा सम्पर्क मार्ग पासिन का पुरवा (मजरे जयसखपुर गड़रियनपुरवा) सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम द्वितीय वार्ड अन्तर्गत सहारा स्टेट से पहाड़पुर होते हुए कुर्सी रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री सागर सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में विकास खण्ड सादाबाद में जुगसना राजवाहा स्थित ग्राम नगला गिजौली से ग्राम नीतिनिवास तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिर्राज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री तेज प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र करहल के ग्राम छेडी में अरेन्ध नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के सुरवार कला से सुरवार खुर्द होते हुए बन्नी सोनुपार मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम केवल चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर के ग्राम भोपालपुर प्राथमिक विद्यालय से रवि चौधरी के घर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री धर्मराज सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के बाराबंकी शहर भाग विकास भवन रोड के मोड़ से नाका सतरिख होते हुए गोण्डा रोड तक फ्लाईओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष जायसवाल, निवासी जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत गांव रामपुर में नरौरा रोड पर गजराज सिंह के मकान से मुख्य सड़क वेलोन-रामघाट मार्ग तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद एटा के धुमरी-सिड़पुरा रोड पर कस्बा धुमरी के अन्दर क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के ग्राम सभा विजयीपुर प्राथमिक विद्यालय से नहर की पुलिया तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के नगरपालिका हसनपुर के अन्तर्गत हसनपुर नगर में 200 के0वी0 का बिजली घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंग अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर की तहसील मीरजापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दाढ़ीराम के गोड़रा में 500 मीटर नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जमुना प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री किरत सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के ब्लॉक नानौता में श्री सतगुरु समनदास चेरिटेबिल ट्रस्ट महत्वपूर्ण सत्संग स्थल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेहर सहगल व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद संतकबीरनगर के विकास खण्ड हैसर एवं विकास खण्ड नाथनगर के ग्राम रामपुर छितौनी के पास जल निकासी हेतु पम्प की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के ग्राम हजरतपुर में गजेन्द्र के घर से मन्दिर होते हुए जी0टी0 रोड हाई-वे तक के रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरखी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माण्डा के ग्राम सभा उल्दा से कोसन्दा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र महोबा के ग्राम श्रीनगर बिलखी तिगेला से ग्राम अतरार माफ तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनारायण व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत अर्जुन एन्क्लेव, अर्जुनगंज में श्री मौर्य के घर से श्याम मिष्ठान वाटिका (निकट सुल्तानपुर रोड) तक लगभग 200 मीटर सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणजीत मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के ग्राम झीगुरा से ककोड़ी तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री दीपक पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पचांयत बरईपुर में ढीहेश्वर महादेव (शिव मन्दिर) मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं आने जाने वाले मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अरविन्द कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर विधान सभा क्षेत्र-136, ददरौला के विकास खण्ड ददरौला में सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ऋषि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के अन्तर्गत ग्राम सेमरहवा में रोहिन नदी पार करने के लिये एक सेतु का निर्माण एवं वनक्षेत्र में 10 फीट खाई खुदवाकर जंगली पशुओं का वन में आवागमन रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 मंजू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत ग्राम अतरौली से मीरापुर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित तोमर व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 अजय कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बागपत में छपरौली विधान सभा क्षेत्र के छपरौली-टाण्डा मार्ग से ग्राम कुर्डी शिव मन्दिर तक मार्ग का नव निर्माण लोक निर्माण

विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र छावनी के अन्तर्गत पूर्व में संचालित पराग डेयरी प्लाण्ट को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश दरवारी व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा तहसील मांट के अन्तर्गत ग्राम अमानुल्लापुर से वनखण्डी महादेव मन्दिर तक लगभग 01 किमी0 सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुईं मानी गई।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लाक धौरहरा में पीलीभीत बस्ती मार्ग से भरेहटा देवीस्थान तक रपटा पुल एवं डामरीकरण (500 मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम शाक्य व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के अन्तर्गत पारीछा बांध की गुरसराय मुख्य नहर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पटेल व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड दुदही के ग्राम सभा जंगल घोरठ में घोरठ शाहपुर प्रधानमंत्री सड़क से इनर पट्टी जाने वाले सड़क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर के ग्राम दूधली में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 आबिद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राज मणि कोल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ोखर को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के ग्राम बीरपुर चौराहा पर विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के अन्तर्गत स्टार एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित किंग जार्ज स्कूल पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने एवं स्थानीय पुलिस की संलिप्तता की जाँच कर चुनाव प्रक्रिया को बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव कुमार यादव निवासी जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड-रामनगर के ग्राम अछती (नेवादा) में माधव यादव के ट्यूबवेल से बलिकरन यादव के घर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड देवमई ग्राम पंचायत कृपालपुर बिंधा स्थित बिंदेश्वरी धाम मन्दिर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के अन्तर्गत नगर पंचायत चन्दौली के वार्ड संख्या-11 संजय नगर के सर्वेश्वरी कालोनी में मेन रोड से आदित्य हॉस्पिटल से ईरा सिंह के मकान से होते हुए डॉ0 शर्मा के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ईरा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के मुख्यालय बिजनौर पर स्थित इन्दिरा विहार कालोनी के निकट टीचर्स अपार्टमेन्टस से लेकर वी0के0 गार्डन बैंकट हाल मोड़ तक (बिजनौर जाने वाले मार्ग तक) सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंशू विश्नोई व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के ब्लाक जमनिया के अन्तर्गत ग्राम मकसूदपुर में 100 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र यादव निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां के अन्तर्गत गण्डक नदी पर बड़ा सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में हुसैनगंज गंगा नहर में कदम पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद शमीम व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अब्बास अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र-356, सदर, शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ से इन्दारा राजवाहा की दूरी 85 किमी0 होने के कारण इन्दारा राजवाहा में पानी समय से न मिलने की समस्या के निराकरण हेतु दोहरी घाट पम्प कैनाल से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री विजय राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद में डियर पार्क रोड (मुरादाबाद से रामपुर की ओर) को स्टेट हाई-वे के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में। श्री रविन्द्र सिंह निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज विधान सभा क्षेत्र-100, कासगंज के अन्तर्गत सिकन्दरा मार्ग से बहटा वाया राजपुर तक सड़क मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जंगाली सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम अल्लीगढ़ से इटौली तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा बक्श सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के वृन्दावन उतरेठिया में 150 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव करन कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 विमलेश पासवान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत इनायतपुर में ग्राम समाज की जमीन एवं तालाब व बंजर जमीन को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज की विधान सभा करछना के अन्तर्गत ग्राम सभा डीहा में 100 बेड के अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर सदर विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम भंडौली में जगवीर की दुकान से आरा मशीन तक 100 मी0 सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर विकास खण्ड बदलापुर के अन्तर्गत सिंगरामऊ से पूरालाल भगवानपुर से पृथ्वीगंज प्रतापगंज बार्डर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिकन्दर मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुईं मानी गई।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रामपुर के टांडा बाईपास के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री शकील जमील व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम निवास वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम रायपुर के पास से निकलने वाली लोनी नदी के पुल से रायपुर गार्डेन होते हुए ग्राम देहरामऊ की पक्की सड़क को जोड़ने वाले लगभग 500 मीटर लम्बे खड़न्जा मार्ग को आर0सी0सी0 अथवा डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भाई लाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र-345, सगड़ी के विकास खण्ड-अजमतगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चायपुर में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर दलित बस्ती के पास लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

हाजी नासिर कुरैशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र-27, मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड-भगतपुर टांडा ग्राम पंचायत रानीनागल से भोजपुर को जाने वाले कच्चे मार्ग नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वाजिद प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुरइयं से भवनपुर होते हुए शिव हरि धाम तक नये काले डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाँदा के विकास खण्ड-महुआ के ग्राम खुरहण्ड, छिबाव एवं मकरी में नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के ब्लाक भरावत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बंगालपुर में मुख्य मंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालता प्रसाद अर्कवंशी व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत अवध विहार योजना में श्रीमती मंजूलिका मिश्रा पत्नी श्री राम आसरे मिश्रा की भूमि खसरा संख्या-1627 की अर्जनमुक्त-253.343 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के बराबर अवध विहार योजना सेक्टर-5 में विभाग द्वारा चिन्हांकित भू-खण्ड संख्या 5/2 व 5/3 में समायोजन/आवंटन कर रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मंजूलिका मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड इस्माइलगंज द्वितीय में दयाल रेजीडेन्सी कॉलोनी के अन्तर्गत आवागमन हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 मुख्य मार्ग से धौकलपुर मुख्य नाला होते हुये उमापति महादेव मन्दिर तक सड़क/नाला एवं सम्बन्धित जर्जर गलियों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री गौरव रस्तोगी निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा उत्तर के अन्तर्गत अशोक विहार कालोनी, गाजीपुर बलराम, फैजुल्लगंज, वार्ड नं0-4, नगर निगम जोन-3 में श्री जय प्रकाश तिवारी (लेन नं0-3) के घर के सामने से डॉ0 प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (लेन-4) के घर तक लं0 लगभग 350 मी0 सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा बालामऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड कोथवां के नगर पंचायत बेनीगंज में पशु चिकित्सालय का पुनः नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री उमेश चन्द्र जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसडी के अन्तर्गत भगवानपुर खादर घाट में बूढी राप्ती नदी में पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमृतलाल उर्फ गुड्डू यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर में घाघरा नदी किनारे के गोसाईपुर, पुरूषोत्तम पट्टी एवं जिन्दापुर आदि गांवों को बचाने के लिए बन्धा एवं यू0टी0यू0बी0 के माध्यम से पत्थर डालकर कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रभाष कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र साण्डी के अन्तर्गत विकास खण्ड-सुरसा में केहरमऊ में पैन्टून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शोभित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र-202, बिधुना के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिधूना में स्टेडियम निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मूलचन्द्र पाल व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के ग्राम सभा राजेपुर के नंगलाखेडा में दुर्गा मन्दिर से बबलू के घर तक के रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र सदर के डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तिराहे से लुहन्ना चौराहे तक रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर की ग्राम पंचायत शेरपुर चिरैयाकोट मार्ग से चौहान बस्ती से बैलाकोट राजवाहा पटरी पर लेपन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नंगा व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की तहसील बरेली सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड-भोजीपुरा के ग्राम बंजरिया जागीर में पुलिया से बाबू मंसूरी के घर होते हुए एम0एस0 स्कूल तक सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लईक अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के चिनहट ब्लॉक के ग्राम सिकंदर पुर खुर्द के मजरा बगुलहा के पूर्व (बाहर) से गोमती नदी (बह्म बाबा) घाट तक सी0सी0 रोड/सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौमी लाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम सेमरौना गंगवल व देवीदासपुर क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम निवास निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर नगर के ग्राम बरइयनपुरवा ग्राम पंचायत अरौल में सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरमन चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर के ग्राम कोटा से ग्रोम घोसीपुर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गुरुप्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड होलागढ़ अन्तर्गत जीतपुर नेवादा से वाया न्याईपुर मुकुन्दपुर तक नहर की पटरी का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र के वि0ख0-डुमरियागंज में नऊवा गांव से बिलहट तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इशहाक अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती ओममणि वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के वृंदावन कालोनी सेक्टर-6 के पास स्थित प्रेमनगर कालोनी के बगल में नगर निगम जोन-8 की खाली पड़ी भूमि नं0-173 पर प्रस्तावित पार्क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीता रजक निवासी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

तदुपरान्त आज की कार्य-सूची के अनुसार 04 विभागों के बजट पारण के दृष्टिगत अब तक बोलने से छूटे हुए कतिपय सदस्यों की सूची पीठ के सम्मुख प्रेषित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मदवार चर्चा हेतु पीठ से समय के निर्धारण का अनुरोध किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने सदस्यगण के लिए 02 से 03 मिनट का समय निर्धारित किया।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में अग्राह्य हुईं।

गोंड, कोल एवं खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने विषयक नेता विरोधी दल व अन्य की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए नेता विरोधी दल ने कहा कि इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। इस पर बल देते हुए वीरेन्द्र यादव ने कहा कि पूर्वांचल के लगभग 17 ऐसे जनपद हैं, जिन जनपदों में गोंड़ और खरवार जाति के लोग निवास करते हैं। उन्हें जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने से उन्हें अपनी पढ़ाई और छात्रवृति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग की तथा विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की। इस पर श्री जय प्रकाश अंचल ने भी बल दिया।

इस पर शासन का पक्ष रखते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री असीम अरूण) ने कहा कि इसमें दो विषय नियत हैं, एक किसी जाति की परिभाषा की और दूसरा विषय जो मा0 सदस्य ने उठाया है कि उस परिभाषा के अनुसार पात्र और सही लोगों को जल्दी-से-जल्दी जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना। पहले विषय में गोंड, खरवार या और कोई, इसमें कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक परिभाषा की बात है। एक तकनीकी समस्या आ रही है। इसके लिए एक फैमिली आई0डी0 के नाम से साफ्टवेयर बनाया गया है, जिसके अनुसार यदि परिवार के किसी सदस्य को पहले जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, तो फैमिली ट्री बनेगा, उसके अनुसार परिवार के अन्य सदस्यों का जाति प्रमाण-पत्र बहुत ही आसान तरीके से जारी हो जाता है, यह व्यवस्था आ चुकी है और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। पहली बार आवेदन करने वालों के लिए जाति प्रमाण-पत्र को जारी करने की व्यवस्था को और पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा एक समिति से अध्ययन कराया गया। समिति ने संस्तुति की है कि इस साफ्टवेयर को और मजबूत किया जाय। आवेदक से उसके तथ्य लेकर राजस्व अधिकारी हाँ या न या संशय वाली बात लिखे और फिर जो पात्र लोग हैं उनको तत्काल प्रमाण-पत्र जारी किया जाये तथा गलती से भी अपात्र इसका लाभ न ले पायें। राजस्व विभाग इस पर काम कर रहा रहा, है।

इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 51 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश में विद्युत वितरण के निजीकरण, विद्युत बिलों में बढ़ोत्तरी एवं स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग से उपभोक्ताओं को हो रही असुविधा विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्री राम सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटरों के कारण अत्यधिक बिलिंग की समस्या बनी हुई है और शिकायतों के निस्तारण के नाम पर विभाग में अवैध वसूली हो रही है। विजिलेंस टीमों द्वारा फर्जी वीडियो और एफ0आई0आर0 की धमकी देकर गरीब किसानों और मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। 1912 टोल-फ्री नम्बर पर मध्यांचल, पूर्वांचल समेत विभिन्न क्षेत्रों में हजारों शिकायतें लम्बित हैं, जिसका समाधान आज तक नही हुआ है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर न पहुँचने के कारण वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि कई बस्तियों में आज भी बुनियादी बिजली व्यवस्था का अभाव है, जहाँ लोग बांस-बल्लियों के सहारे असुरक्षित तरीके से तार खींचने को मजबूर हैं। विभाग में निजीकरण की कोशिशों का विरोध करते हुए उन्होंने इसे उपभोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों के हितों के खिलाफ बताया। श्री पटेल ने विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों में

हो रही अत्यधिक देरी पर भी अपना विरोध व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि डेढ़-डेढ़ साल से पैसा निर्गत होने के बावजूद अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं और कार्य धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए श्री अध्यक्ष से सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की माँग की। श्री मौहम्मद फहीम इरफान, श्री पंकज पटेल एवं डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल ने भी इस पर बल दिया।

इस पर शासन का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में पहली बार यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एनर्जी के तहत हर घर तक बिजली पहुँची है और पिछले 6 वर्षों में बिजली की दरों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई है। मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश की अधिकतम मांग अब 31486 मेगावाट तक पहुँच गई है, जो पिछली सरकारों की तुलना में ढाई गुना अधिक है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 500 यूनिट से बढ़कर अब 724 यूनिट हो गई है, जो राज्य के इतिहास में एक कीर्तिमान है। किसानों के लिए बिजली मुफ्त करने के साथ-साथ पिछले 7 वर्षों में 15 लाख से अधिक नए कनेक्शन दिए गए हैं। बिजली कम्पनियों (डिस्कॉम) की रेटिंग में सुधार हुआ है और अनपरा इकाई व ट्रांसमिशन कम्पनी को देश में सर्वश्रेष्ठ होने का पुरस्कार मिला है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अयोध्या को सोलर सिटी बनाने और हजारों पम्पों को सोलराइज हमारी सरकार में किया गया है। स्मार्ट मीटरों की गलत बिलिंग की कोई पुख्ता शिकायत नहीं मिली है। निजीकरण के विषय में उन्होंने कहा कि रिलायंस और टोरेंट जैसी कम्पनियों की प्रदेश में एण्ट्री सपा और बसपा के शासनकाल में ही हुई थी। अन्त में, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जो भी निर्णय लेगी, वह जनता के व्यापक हित और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ही होगा।

दिनांक 18-02-2020 को गलगोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा द्वारा एआई समिट में देश की छवि धूमिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यानाकर्षण किया।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

"उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार किया जाय"।

नेता विरोधी दल ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया:-

"उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

"उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त श्री कमाल अख्तर द्वारा रोजा इफ्तार एवं सहरी के समय लाऊडस्पीकर से एलान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि रात 10 बजे के बाद लाऊडस्पीकर अनुमन्य नहीं है।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि अनुदानवार बजट पर बोलने हेतु समय निर्धारित करते हुए मंत्रीगण को 20 मिनट, कटौती प्रस्ताव पर बोलने हेतु 10 मिनट तथा 3–3 सदस्य पक्ष व विपक्ष द्वारा 5-5 मिनट के लिए बोलेंगे, इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभाग के मंत्री अपना उत्तर भाषण 15 मिनट में देंगे।

तदुपरान्त कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रु0 10996,68,02,000 (दस हजार नौ सौ छियानवे करोड़ अड़सठ लाख दो हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

इसी मध्य अपराह्न 02 बजे अधिष्ठाता मनीष असीजा पीठासीन हुए।

श्री पंकज कुमार मलिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री शशांक त्रिवेदी,

श्री राम चौहान,

श्री आनन्द कुमार यादव,

श्री चन्द्रभानु पासवान,

श्री विनय प्रकाश गोंड,

श्री संदीप सिंह तथा

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही) ने उत्तर भाषण दिया।

तदुपरान्त श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा अनुदान संख्या-11 के अधीन मांगी गयी धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

जल शक्ति एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 18190,35,59,000 (अट्ठारह हजार एक सौ नब्बे करोड़ पैंतीस लाख उनसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय तथा अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6625,41,23,000 (छः हजार छः सौ पच्चीस करोड़ इकतालीस लाख तेईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) तथा अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अनिल पाराशर,

श्री भगवान सिंह कुशवाहा,

श्री कमाल अख्तर,

श्री बाबूराम,

श्री राम कृष्ण भार्गव,

श्री मनोज कुमार पारस,

श्री राजीव तरारा तथा

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव।

जल शक्ति एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री ने उत्तर भाषण दिया।

तदुपरान्त श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा अनुदान संख्या-94, 95 के अधीन मांगी गयी धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

नगर विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 23944,92,02,000 (तेईस हजार नौ सौ चौवालीस करोड़ बानवे लाख दो हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

इसी मध्य सायं 05 बजकर 11 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं।

श्री अतुल प्रधान ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्‌देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री राम चन्द्र यादव तथा

श्री अभिजीत सिंह 'सांगा'।

श्री रविदास मेहरोत्रा के भाषण के उपरान्त श्री संग्राम यादव ने बजट पारण के दौरान विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि बात हो गयी है, वे आ रहे हैं। निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश तथा

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी।

श्री समरपाल सिंह के भाषण के मध्य सायं 06 बजकर 27 पर मिनट पर अधिठाता डॉ0 मंजू शिवाच पुनः पीठासीन हुईं। तदुपरान्त श्री अतुल प्रधान ने बजट चर्चा के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर अधिष्ठाता ने कहा ऐसा नही है ।

नगर विकास मंत्री ने उत्तर भाषण दिया।

तदुपरान्त श्री अतुल प्रधान द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा अनुदान संख्या-37 के अधीन मांगी गयी धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3812,48,63,000 (तीन हजार आठ सौ बारह करोड़ अड़तालीस लाख तिरसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्‌देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती जयदेवी,

श्री दिनेश रावत,

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी),

श्री मौहम्मद फहीम इरफान,

श्री जय प्रकाश निषाद तथा

श्रीमती पूजा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने उत्तर भाषण दिया।

इसी मध्य रात्रि 08 बजकर 13 मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

तदुपरान्त डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा अनुदान संख्या-3 के अधीन मांगी गयी धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

आज दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 114 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गईं।

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	श्री प्रेम सागर पटेल	लो0नि0वि0 की कार्यदायी संस्था एटलस फरीदाबाद द्वारा कराये जा रहे घटिया निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 जाँच कराये जाने विषयक।
2	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में लगे क्रेशरों के डस्ट से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री रामखिलाड़ी सिंह	जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र-111 में कतिपय विकास खण्डों में सम्पर्क निर्माण के सम्बन्ध में।
4	श्रीमती सरोज कुरील	जनपद जालौन में भूमि सं0-346/211 पर न्यायालय द्वारा हदबन्दी/पत्थर गड्डी आदेश के तहत गड़वाये गये पत्थरों को दबंगों द्वारा उखाड़े गये पत्थरों को पुनर्स्थापित कर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री स्वामी ओउ्मवेश	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अखलासपुर से सल्लाहपुर गागू नंगला मार्ग तक सड़क डामरीकरण कराये जाने विषयक।

क्र0-सं0	नाम	विषय
6	श्री जै किशन साहू	जनपद गाजीपुर में स्थापित मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कराये जाने विषयक।
7	डॉ0 रागिनी	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा असवां पुल से ग्राम सभा फजुलहां सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
8	श्री सुशील कुमार शाक्य	जनपद फर्रुखाबाद अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में निहित गाटा संख्या 1625 मि0 क्षेत्रफल 25 एकड़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा 01-04-1995 को धर्मार्थ चिकित्सालय हेतु पट्टा जाकिर हुसैन ट्रस्ट को नियत अवधि 30 वर्ष के लिये कर दिया, शर्तों का पालन न करने एवं अवधि पूर्ण हो जाने पर भूमि पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कब्जा लेने के सम्बन्ध में।
9	श्री धर्मराज निषाद	जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी अन्तर्गत विकास खण्ड भीटी का आवासीय भवन तथा कार्यालय का निर्माण कराये जाने विषयक।
10	श्री रमा शंकर सिंह	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मडिहान अन्तर्गत पर्यटन स्थल लखनिया तुरी में सैलानियों के साथ वन विभाग के ठेकेदार द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार एवं अवैध वसूली तथा महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाँच के सम्बन्ध में।
11	श्री देवेन्द्र सिंह लोधी	डॉ0 चन्द्रभूषण सिंह माहुर, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय शंकर गंज, जौनपुर का समस्त लम्बित देयकों का समयबद्ध भुगतान कराये जाने विषयक।
12	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	अमर शहीद जोधा सिंह अटैया के पैतृक गाँव में उनकी प्रतिमा लगाने एवं पार्क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
13	श्रीमती ओममणी वर्मा	जनपद बाँदा अन्तर्गत विधान सभा नरैनी तहसील अतर्रा के ग्राम दुबरिया में भूमि गाटा सं0-9100 रकबा

क्र0-सं0	नाम	विषय
		0.411 पर बने मानक विपरीत मदरसे की जाँच कराकर कार्यवाही के विषय में।
14	श्री विनय कुमार द्विवेदी	जनपद गोण्डा के बिशुनापुर बाजार से छिटनापुर गांव तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक।
15	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा समैसा के क्षेत्र में कतिपय सम्पर्क मार्ग से सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री चन्द्रभानु पासवान	विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद अयोध्या के अन्तर्गत गोठवारा से प्राथमिक विद्यालय सौधियावा, चमनगंज से गौहन्ना कानूनगो प्रा0 स्कूल तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण के सम्बन्ध में।
17	डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा	नगर निगम फिरोजाबाद में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) श्री आशीष शुक्ला के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं शासन स्तर पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में।
18	श्रीमती रेखा वर्मा	जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के विकास खण्ड अछल्दा में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
19	श्री लक्ष्मी राज सिंह	जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में गुलावठी-सैदपुर मार्ग पर लगातार जाम लगने की समस्या के समाधान हेतु।
20	श्रीमती अन्जुला सिंह माहौर	जनपद हाथरस में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	डॉ0 राजेश्वर सिंह	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के अन्तर्गत इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड एवं इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड में निर्मित आवासीय क्षेत्र में पाइप लाइन पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में।
22	श्रीमती इन्द्राणी देवी	जनपद श्रावस्ती अन्तर्गत ब्लॉक हरिहरपुररानी में जगपति धाम का सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक।

क्र0-सं0	नाम	विषय
23	श्री समरपाल सिंह	उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् लखनऊ में वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि वानिकी) भर्ती की जाँच के सम्बन्ध में।
24	डॉ0 वीरेन्द्र यादव	जनपद गाजीपुर की विधान सभा जंगीपुर के अन्तर्गत सुहवल में 132 के0वी0ए0 क्षमता का पावर हाउस बनाये जाने विषयक।
25	श्री राजेन्द्र कुमार	विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद मार्ग के रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक/रेलवे गुमटी के ऊपर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में।
26	इंजी0 सरवन कुमार निषाद	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में चौरी-चौरा गवनार मार्ग के कि0मी0-3 (बालखुर्द) से डूडी बसहिया खैराबाद मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।
27	डॉ0 पल्लवी पटेल	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पी0ई0टी0 परीक्षा में न्यूनतम कटऑफ निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।
28	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया सहित 16 जनपदों के गोंड व खरवार जातियों के अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
29	डॉ0 आर0के0 वर्मा	नगर पालिका वार्ड सं0-17 उत्तर (ग्राम दहिलामाऊ) तहसील सदर, थाना नगर कोतवाली, प्रतापगढ़ में भू-माफिया के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
30	इंजी0 बृजेश कठेरिया	जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में तकनीकी सहायक के स्थानान्तरण को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
31	श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत काशीपुर (भसरौल) एवं बरौलिया के मध्य ससुर खदेरी नदी में लघु सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।
32	श्री शफीक अहमद अंसारी	जनपद रामपुर की तहसील स्वार में पुरानी तहसील की भूमि गाटा सं0 185 क्षेत्रफल (0.506 हे0) को

क्र0-सं0	नाम	विषय
		निःशुल्क/लीज/सशुल्क नगर पालिका परिषद् स्वार को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी	जनपद एटा के कासगंज नहर की पटरी होते हुए एटा आगरा रोड तक कांवड़ यात्रा मार्ग के नाम पर बनाये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री प्रकाश द्विवेदी	जनपद बांदा में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में।
35	श्री गणेश चन्द्र चौहान	जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा धनघटा में तिघरा मौर बहारडाड़ी में लगभग 20 गाँव में जल निकासी हेतु पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में।
36	श्री अमरेश कुमार	जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित कतिपय मार्गों के निर्माण की जाँच कराये जाने विषयक ।
37	श्री राजीव तरारा	जनपद अमरोहा अन्तर्गत गजरौला में जूविलेंट फैक्टरी, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में।
38	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	जनपद गौतमबुद्धनगर में मदिरा दुकानों पर ओवररेटिंग एवं जिला आबकारी अधिकारी की निलम्बन पुनर्बहाली सम्बन्धी प्रकरण के विषय में।
39	श्री कमाल अख्तर	जनपद मुरादाबाद के कांठ विधान सभा क्षेत्र में धारक नगला से भोजपुर के रास्ते पर ग्राम आदमपुर में ढेला नदी पर बने संकरे पुल के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
40	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत कस्बा किरतपुर में ओल्ड एन0 एच0 119 पर मो0 असलम के खेत खसरा नं0-302 से मंडावर रोड तक बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में।
41	श्री विवेकानन्द पाण्डेय	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत प्रस्तावित नौरगिया को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
42	श्री अरविन्द कुमार सिंह	जनपद शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र ददरौल के विकास खण्ड कांठ एवं मदनापुर को सदर तहसील से अलग कर नई तहसील का बनवाने के सम्बन्ध में।
43	श्री रत्नाकर मिश्र	जनपद मिर्जापुर में दूषित पानी के उचित निकासी के सम्बन्ध में।
44	श्री राम चन्द्र यादव	श्री अरविन्द कुमार, प्र0अ0, उ0प्र0वि0 छठवें वेतन आयोग के अन्दर का अवशेष दिलाये जाने विषयक।
45	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत विकास खण्ड बदलापुर, बक्सा, महराजगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेदुका, बेलावां, गजाधरपुर, नाभीपुर, पहाड़पुर के स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।
46	श्री देवेन्द्र कुमार निम	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में मिठाई की दुकानों से सैम्पल लेकर जाँच कर कार्यवाही हेतु।
47	श्री वीरेन्द्र चौधरी	जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में ग्राम पंचायत खडखोडा में चकबन्दी के दौरान अधिकारियों द्वारा किये गये नियम विरुद्ध कार्य की जाँच कर कठोर कार्यवाही हेतु।
48	श्री रमेश जायसवाल	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में विकास खण्ड सदर के ग्राम बिसौरी में कतिपय सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में।
49	श्री चन्द्रपाल सिंह	जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा डिबाई के ब्लॉक डिबाई अन्तर्गत डिबाई कर्णवास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
50	डॉ0 अमित सिंह चौहान	जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर की तहसील सोहावल के विकास खण्ड मसौधा अन्तर्गत अयोध्या धाम आने वाले कतिपय मार्गों का निर्माण उत्तर प्रदेश कार्पोरेशन लि0 द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
51	श्री संदीप सिंह	जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के अन्तर्गत रामपुर से करछना मार्ग पर रेलवे ओवर के आगे लो0नि0वि0 मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने विषयक।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष ने दो सदस्यों द्वारा अपनी सूचना पर उनके हस्ताक्षर भिन्न होने का प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव, विधान सभा को निर्देशित किया कि मा0 सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है कि नोटिस न उनके जनपद से सम्बन्धित है और ना ही उनके द्वारा लगायी गयी है। उन्होंने उक्त प्रकरणों की जाँच कराते हुए कल तक अवगत कराने के लिए कहा। जिससे दोषियों के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके।

श्री अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कहा गया है कि विधायक निधि से सम्बन्धित सुझावों को लिपिबद्ध किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाए।

चूँकि एक समिति विधान परिषद् में उक्त से सम्बन्धित मा0 उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) की अध्यक्षता में गठित की गयी है। अतएव विधान सभा से भी इस प्रकार की समिति का गठन करने की अपेक्षा की गयी है। इस हेतु श्री अध्यक्ष ने विधायक निधि हेतु सुझाव दिए जाने सम्बन्धी 11 सदस्यीय समिति को कल गठित किए जाने की घोषणा की एवं एक सप्ताह में उसकी जानकारी सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। उन्होंने सदन को यह भी सूचित किया कि उक्त समिति का गठन विधायक निधि पर सुझाव देने का होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसे मान लिया जाए। उक्त सुझावों पर अमल करने हेतु अन्तिम निर्णय मा0 मुख्य मंत्री का होगा।

डॉ0 रागिनी द्वारा महिला विधायकों अथवा प्रदेश में कार्यरत महिला राज्य कर्मचारियों को उनके ऊपर आश्रित माता-पिता अथवा सास-ससुर के चिकित्सीय बीमा अथवा सहायता न उपलब्ध होने की बात बताते हुए कहा कि पूर्व में भी इस प्रकरण को उनके द्वारा उठाया गया था।

जिस पर मा0 अध्यक्ष ने कहा कि इस सुझाव को भी उक्त समिति में ले लेंगे।

विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के प्राथमिक विद्यालय सहरमा विकास खण्ड बरसठी में नियमित शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को दी

गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य पढ़ा माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद हमीरपुर मुख्यालय में बेतवा एवं यमुना नदियों में दीर्घ सेतु एवं बाईपास कार्य समय से न पूर्ण होने एवं शासकीय धन की क्षति होने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तय करते हुये कठोरतम कार्यवाही कर रुके कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया। इस सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने प्रकरण में जाँच समिति का गठन कर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के निर्देश दिये गये।

जनपद औरैया के सहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत नारायणपुर शहबाजपुर में कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज के सोरांव अन्तर्गत विकास खण्ड बहरिया के ग्राम पंचायत टिकरी में सारंगापुर टिटिमपुर तथा ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ दौलतपुर के मौजा देवरा में काली रोड से पं0 जवाहर लाल नेहरू इण्टर कॉलेज तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती गीता शास्त्री द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र भिनगा जनपद श्रावस्ती अन्तर्गत विकास खण्ड सिरसिया के ग्राम पंचायत मदरहवा से पिपरहवा तक सड़क पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती इन्द्राणी वर्मा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खरीद फरोख्त करके तथा भू-लेख के विपरीत अवैध कब्जे को भू-माफियाओं से मुक्त कराने के सम्बन्ध में श्री बेदी द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र जफराबाद, जौनपुर हेतु निर्धारित आवंटित पूर्वांचल विकास निधि जिलांश की स्वीकृति न होने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के अन्तर्गत ग्राम बीबीपुर से उचहुवां तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026

को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर, कानपुर नगर के ग्राम रामपुर नरुआ की पुलिस चौकी एवं थाना क्षेत्र की समस्या के सम्बन्ध में श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा' द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन रात्रि 09 बजकर 41 मिनट पर अगले दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 256 एल0ए0 विधान सभा (424)-20-02-2026-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।